संख्या– 331807 /XXIV–2–2025–25(03)2020 (ई–65470)

प्रेषक,

ऋचा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–02 देहरादून : दिनांक 18 सितम्बर, 2025

विषयः–जन–सामान्य में सूचना का अधिकार अधिनियम की समझ में वृद्धि हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में डिबेट/निबन्ध प्रतियोगिता/कला प्रतियोगिता आदि के आयोजन के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या–9982/उ0सू0आ0/2025–26 दिनांक 05.08.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रयास किये जाते रहे हैं, जिस हेतु देश में प्रतिवर्ष दिनांक 05 से 12 अक्टूबर को RTI Week का आयोजन किया जाता है।

02– उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि जन–सामान्य में सूचना का अधिकार अधिनियम की समझ में वृद्धि हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में डिबेट/निबन्ध प्रतियोगिता/कला प्रतियोगिता आदि के आयोजन के संबंध में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों को आयोग की ओर से सम्मानित किये जाने हेतु आयोजित किये जाने वाले ऐसे कार्यक्रमों की सूचना, सूचना आयोग को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

03– तत्क्रम में उक्त संदर्भगत पत्र दिनांक–05.08.2025 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त पत्र में की गयी अपेक्षा के क्रम में सूचना संबंधित प्राधिकरण को यथाशीघ्र उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

Digitally signed by
Richa
Date: 18-09-2025
15:30:07

(ऋचा)
उप सचिव।

संख्या– /XXIV–2–2025–25(03)2020(ई–65470)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।